| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3 |
|---|---|---|
| 22/5/14 | **न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया**<br>वाद संख्या–सी0आर0एम0–10/2012–13<br>सिंगासन हाजरा<br>बनाम<br>बिहार सरकार<br>**आदेश**<br>यह अपील वाद सिंगासन हाजरा पिता–स्व0 बालदेव हाजरा सा0–सोनरा टोला मौजा+थाना–बलथर जिला–पश्चिम चम्पारण जनवितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम पंचायत राज बलथर द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, नरकटियागंज के उस आदेश दिनांक 23.06.2012 के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।जिसके तहत अपीलकर्ता का जनवितरण प्रणाली विक्रेता का अनुज्ञप्ति संख्या–25/2007 को तत्कालिक प्रभाव से रद् किया गया है।<br>निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को दिसम्बर–11 से आदेश निर्गत होने की तिथि 23.06.2012 तक खाद्यान्न का वितरण नही किया गया है। विक्रेता द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को दिये गये स्पष्टीकरण में बीमार होने के चलते डाफ्ट नही लगाने की बात कही गयी है। इस संबंध में अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज या प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नरकटियागंज को बिक्रेता द्वारा बीमार होने संबंधी कोई साक्ष्य नही दिया गया है। साथ ही बीमार होने की सूचना भी नही दी गयी है। अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के द्वारा उल्लेख किया गया है कि विक्रेता द्वारा जानबुझकर उपभोक्ताओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया एवं इस संबध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार विक्रेता द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के अनुज्ञप्तियों का उल्लघंन किया गया है। ऐसी परिस्थति में अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के द्वारा विक्रेता के अनुज्ञप्ति संख्या–25/2007 को तत्कालिक प्रभाव से रद् कर दिया गया है। | |

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख<br>1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ<br>3 |
|---|---|---|
| | श्री तैयब शेख एवं अन्य द्वारा दिये गये शिकायत के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के निदेश के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकटा द्वारा तैयब शेख एवं अन्य ग्रामीण जनता सड़किया टोला के उपस्थिति में जांच किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिकटा के समक्ष सभी उपस्थित ग्रामीणों द्वारा एक स्वर में कहा गया कि इनके द्वारा खाद्यान्न का वितरण माह दिसम्बर–11 से नही किया जा रहा है।<br><br>जनवितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा अपील आवेदन में कहा गया है कि वे दिनांक 26.01.2012 से 12.06.2012 तक दुर्भाग्य बस बीमार थें, तथा अस्पताल में भर्ती थें। चिकित्सक द्वारा आराम करने हेतु परामर्श दिया गया। इस कारण उनके द्वारा माह–दिसम्बर–11 से जनवरी–2012 तक का वी0पी0एल0 का ड्राफ्ट नही लगाया जा सका। जिसके कारण उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण नही किया जा सका। लेकिन बीमार होने संबंधी कोई भी साक्ष्य न अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को दिया गया और न ही अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में ही दिया गया।<br><br>जनवितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा जानबुझाकर माह–दिसम्बर–11 से जनवरी–12 तक का वी0पी0एल0 का ड्राफ्ट नही किया गया है। इस कारण सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से उपभोक्ता वंचित रह गये। इस से स्पष्ट होता है कि जनवितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के अनुज्ञप्ति के शर्तो का उल्लघंन किया गया है।<br><br>उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 23.06.2012 को बरकार रखते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।<br>लेखापित एवं संशोधित।<br><br>जिला दण्डाधिकारी,<br>पश्चिम चम्पारण, बेतिया<br><br>जिला दण्डाधिकारी,<br>पश्चिम चम्पारण, बेतिया | 859/दि०<br>26/5/15 |